न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 86/2011 (उदयपुर आर्डर)

1. मांगू खां मृतक के बजाय :–

1/1. श्रीमती रशीदा पत्नी मांगू खां जी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

1/2. श्रीमती रूक्कन पुत्री मांगू खां जी, पत्नी राज मोहम्मद जी, निवासी सांवलिया जी, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

1/3. श्रीमती अकीला पुत्री मांगू खां जी, पत्नी जुम्मा खां जी, निवासी डूंगला, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

1/4. श्रीमती जेबून पुत्री मांगू खां जी, पत्नी अलादीन जी, निवासी धनेतकलॉ, तहसील चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

1/5. श्रीमती शबाना पुत्री मांगू खां जी, पत्नी ईशाक मोहम्मद जी, निवासी सेंगवा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

2. अय्युब हुसैन पिता श्री मंसूर बक्ष जी पिंनारा (मुसलमान), निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. परसराम पिता धनराज जी सोनी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

2. डालचन्द पिता धनराज जी सोनी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

3. कैलाश पिता धनराज जी सोनी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

4. श्रीमती रामी बेवा धनराज जी सोनी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

5. श्रीमती कमला पुत्री धनराज जी सोनी, पत्नी कैलाश जी सोनी, निवासी बम्बोरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

6. श्रीमती मंजू पुत्री धनराज जी सोनी, पत्नी प्रकाश जी सोनी, निवासी देलवाड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

7. गिरधारी पिता गोटू जी सोनी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

8. श्रीमती मधुबाला बेवा प्यारचन्द जी सोनी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

9. दिनेश पिता प्यारचन्द जी सोनी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

10. श्रीमती सरोज पुत्री पिता प्यारचन्द जी सोनी, पत्नी मदनलाल जी सोनी, निवासी गांव गुड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

11. श्रीमती प्रमीला पुत्री पिता प्यारचन्द जी सोनी, पत्नी हीरालाल जी सोनी, निवासी खमनोर, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

12. फतहलाल पिता कन्हैयालाल जी सोनी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

13. मुकेश पिता कन्हैयालाल जी सोनी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

14. श्रीमती तुलसी बाई पुत्री कन्हैयालाल जी सोनी, पत्नी जगदीश जी सोनी, निवासी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

15. श्रीमती मुन्नी बाई पुत्री कन्हैयालाल जी सोनी, पत्नी रामलाल जी सोनी, निवासी रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

16. श्रीमती गीता बाई पुत्री कन्हैयालाल जी सोनी, पत्नी शंकरलाल जी सोनी, निवासी गींगला, जिला उदयपुर (राज.)

17. श्रीमती अणसाई बाई पुत्री कन्हैयालाल जी सोनी, पत्नी बंशीलाल जी सोनी, निवासी पीण्ड भाणुजा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

18. सलीम मोहम्मद पिता मंसूर बक्ष जी पिंनारा (मुसलमान), निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, मावली
दिनांक 17.06.2011 प्र॰सं॰ 138/08

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री पन्नालाल मारू अभिभाषक अपीलान्टगण

2. श्री संजय बोहरा अभिभाषक रे.सं.1,3,4,7,9,12 से 15

———::———

निर्णय **दिनांक 31—10—2017**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/प्रार्थीगण ने रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षीगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ईण्टाली में आराजी नंबर 2301, 2302, 2304 कुल किता 3 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्यारचन्द, परसराम, डालचन्द, कैलाश, कमला, मंजू पिता धनराल मु. रामी बाई बेवा धनराज 1/3 हि.ब. कन्हैयालाल, गिरधारी पिता गोटु 2/3 अनुसार अंकित है। प्यारचन्द की मृत्यु हो चुकी है, जिसके उत्तराधिकारी विपक्षी संख्या 8 से 11 हैं। कन्हैयालाल की भी मृत्यु हो चुकी है, जिसके उत्तराधिकारी विपक्षी संख्या 12 से 17 हैं। उक्त गांव की संवत् 2022—23 के लगभग पैमाईश हुई, जिसके साबिक आराजी नंबर 1394 हैं। वादग्रस्त भूमि के पड़ोस प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार हैं। प्रार्थीगण का कब्जा श्री कादरबक्ष जी के समय से ही चला आ रहा है एवं एक दिन भी खण्डित नहीं हुआ। कादरबक्ष का देहान्त हो चुका है, जिसके वारिस प्रार्थी संख्या 1 व मंसूर खां थे। मंसूर खां की भी मृत्यु हो चुकी है, जिसके वारिस प्रार्थी संख्या 2 व विपक्षी संख्या 18 है। वादग्रस्त आराजीयात वरदा नायक के पास गोटु देवकिशन सुनार की ओर से रहन थी, जिसका दाखला उसकी पत्नी जेवरा के नाम से लगाया गया था, किन्तु कब्जा वादग्रस्त आराजीयात पर कादरबक्ष जी का ही चलता रहा। तत्पश्चात् श्रीमती जवेरी पत्नी वरदा ने संवत् 2018 चेत विद 7 को वादग्रस्त आराजियात श्री कादरबक्ष जी को 150/— रूपये में रहन रख दी एवं कादरबक्ष की बही में श्री वरदा ने रहननामा भी निष्पादित कर दिया। इस प्रकार प्रार्थीगण का कब्जा 70 वर्षो से निरन्तर चला आ रहा है, जिसको 12 वर्ष से अधिक का समय हो जाने से प्रार्थीगण धारा 63 (1) (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अनुसार वादग्रस्त आराजियात के खातेदार हो चुके हैं। विपक्षी संख्या 1 से 17 द्वारा कभी भी कोई आपत्ति नहीं की गयी एवं प्रार्थीगण का शान्ति पूर्वक कब्जा चलता रहा, किन्तु राजस्व अभिलेखों में विपक्षी संख्या 1 से 17 के नाम अंकित रह जाने

से उनकी नियत खराब हो गयी है तथा वे प्रार्थीगण को बेदखल करने की धमकियां देते हैं। निवेदन किया कि विपक्षीगण को प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बेजा दखलन्दाजी नहीं करने तथा वादग्रस्त आराजियात के मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे। प्रकरण में प्रार्थी मांगू खां स्वयं का तथा लोगर, श्यामलाल व भंवरलाल के शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये गये।

प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 से 7, 9, 12 से 16 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी नंबर 1394 का कितना रकबा था प्रार्थी ने इसका अंकन नहीं किया है, जिसके अभाव में जवाब नहीं दिया जा सकता। प्रार्थीगण का किसी प्रकार का कब्जा नहीं है न था। प्रार्थीगण ने कादरबक्ष का कब्जा कब था एवं प्रार्थीगण के पास कब्जा कब आया इसका कोई उल्लेख नहीं किया है, न ही कोई सजरा पेश किया है। वादग्रस्त आराजियात पर न तो कभी कादरबक्ष का कब्जा रहा, न ही प्रार्थीगण का कभी कब्जा रहा है, कब्जा गोटु जी के परिवार का होकर वह आज भी काश्त कर रहे हैं। प्रार्थीगण एक तरफ तो श्रीमती जवेरी का अंकन बताते हैं, वहीं दूसरी ओर वरदा जी के यहां गिरवी रखना बताते है, जो आपस में विरोधाभाषी हैं। वरदा नायक अपने पूर्वजों के समय से रेलमगरा में रहता था न कभी भी विवादित जमीन पर नहीं आया। प्रार्थीगण का सारा कथन गलत है। विशेष कथन में कहा कि प्रार्थीगण जिस दस्तावेज के आधार पर क्लेम कर रहे हैं वह अनरजिस्टर्ड व अनस्टाम्प्ड है, जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हो सकते। प्रार्थीगण स्वच्छ हाथों से नहीं आये हैं। अतएवं प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

विपक्षी 18 जो मन्सूर बक्ष का पुत्र है, ने सहमति का जवाब प्रस्तुत किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 17–06–2011 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 01–08–2011 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को तलब करने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 3, 4, 7, 9 व 12 से 15 की ओर से वकील श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। प्रकरण में दौराने कार्यवाही अपीलान्ट संख्या 1 की मृत्यु हो जाने से उसके

कायम मुकाम संस्थित किये जाकर रेकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये गये तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने तथा अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट का प्रमुख उजर यह है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न तो देखा गया न ही उन्हें निर्णय का आधार बनाया गया है। अपीलान्ट का कब्जा 70 वर्षो से भी अधिक समय से चला आ रहा है एवं इस हेतु लगान की रसीदें, खसरा गिरदावरियां व पड़ोसियों के शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं, किन्तु न तो उन्हें देखा गया, न समझा गया, न ही निर्णय में उनका हवाला दिया गया। रेस्पोन्डेन्ट ने अपने पूरे जवाब में कहीं पर भी यह नहीं बताया कि वादग्रस्त आराजियात उन्हें विरासत से प्राप्त हुई या उनकी स्वअर्जित सम्पत्ति है। वादग्रस्त भूमि के चारों ओर अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि होकर अपीलान्ट की अन्य भूमियों से मिली हुई है तथा एक चक में होकर चारों ओर बाउण्ड्री बनी हुई है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में निम्न आधार पर आवेदन पेश किया गया है :–

1. वादग्रस्त आराजियात पर कादरबक्ष के जीवनकाल से उसका कब्जा है तथा कादरबक्ष को वादग्रस्त आराजियात तत्समय का लागन अदा करने की एवज में काश्त करने को दी। अर्थात इससे स्पष्ट है कि खातेदार की सहमति से प्रार्थीगण द्वारा काश्त की गयी। जब सहमति से काश्त की जाती है अथवा करने की लिए किसी को भूमि दी जाती है तो इससे काश्त करने वाले व्यक्ति को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि लगान की एवज में यदि सहमति से भी भूमि दी जाती है तो इससे किसी को कोई अधिकार प्रदान नहीं होते हैं।

2. अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा दूसरा उजर यह लिया गया कि वादग्रस्त आराजियात वरदा नायक के पास गोटू पिता देवकिशन सुनार की ओर से रहन थी। यह उजर उपरोक्त उजर से पृथक है, क्योंकि भूमि कादरबक्ष को लगान के बदले काश्त के लिए दी गयी थी। इसके साथ ही यह भी तथ्या आया कि वरदा के पक्ष में गोटु पिता देवकिशन सुनार की ओर से जब रहन थी तो वरदा द्वारा उक्त भूमि संवत् 2018 में कादरबक्ष के पास 150/– में रहन रखी क्यों रखी गयी ? हमारे द्वारा यह भी पाया गया कि प्रार्थी प्रथमता तो खातेदार से उक्त भूमि लगान से अपने पास रहन रखना बताता है वहीं आश्चर्य जनक रूप से जवेरी पत्नी वरदा नायक के नाम भूमि दाखला होने का अंकित होना बताता है। जब भूमि का दाखला जवेरी के नाम अंकित है, तो जवेरी के पति वरदा को खातेदार की भूमि किसी अन्य तीसरे व्यक्ति को रहन रखने को न तो विधिक कहा जा सकता है, न ही तर्क संगत एवं न ही इससे किसी प्रकार के अधिकारों का सृजन होता है। आश्चर्य जनक रूप से खातेदार द्वारा किसी महिला को रहन रखा गया था तो उक्त रहन रखने वाली महिला के पति को किसी अन्य व्यक्ति को रहन रखे जाने का न तो कोई विधिक प्रावधान है, न अधिकार। संवत् 2018 में अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा जो रहन रखना गया है वह सन् 1961 होता है, जिस समय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में था तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के बाद उक्त भूमियों का रहन स्वतः ही 5 वर्ष बाद समाप्त होकर कब्जा खातेदार का होना माना जाता है। इस दृष्टिकोण से भी न तो रहन के आधार पर एवं न ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के उक्त वर्णित प्रावधान के तहत अपीलान्ट/प्रार्थीगण का कोई स्वत्व माना जा सकता है।

3. अपीलान्ट द्वारा यह भी कथन किया गया कि उप जिला कलक्टर वल्लभनगर के यहां धनराज पिता गोटू सुनार द्वारा वाद संख्या 111/83 बंटवाड़ा एवं कब्जेयाबी का प्रस्तुत किया, जो अदम हाजरी अदम पैरवी में दिनांक 20–02–1986 को खारिज हो गया। अर्थात इससे यह स्पष्ट है कि वर्ष 1986 तक प्रार्थीगण के अलावा अन्य व्यक्तियों का भी उक्त भूमि पर कब्जा होने की संभावना है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद का निर्णय गुणावगुण आधार पर नहीं किया गया है, परन्तु वाद दायरी दिनांक को प्रार्थीगण का कब्जा हो, इस बाबत् प्रार्थीगण को सिद्ध करना था,

परन्तु उनके द्वारा ऐसा कोई तथ्य साबित नहीं कराया गया है, जिससे वाद दायरी दिनांक को प्रार्थीगण का कब्जा साबित होता हो। प्रार्थीगण द्वारा पुराने कब्जे बाबत् लगान की रसीदे प्रस्तुत की गयी है, जिसमें कादरबक्ष की कुछ Stray (यकायक) प्रविष्टियां हैं। ऐसी Stray प्रविष्टियों के आधार पर विशेष रूप से सिर्फ कब्जे के आधार पर जिसे वह प्रतिकूल कब्जा कहता है व खातेदारी दिये जाने की मांग करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा चाहता है, जो उसे नहीं दी जा सकती, क्योंकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि किसी व्यक्ति का किसी अनाधिकृत आधार पर कब्जा है तो वह उक्त दस्तावेज को वह शील्ड के रूप में काम में ले सकता है, परन्तु कभी भी अविधिक आधार अथवा बिना विधिक आधार पर यदि वह कब्जे में है तो वह उसे Sword (तलवार) के रूप में काम में नहीं ले सकता। अपीलान्ट ने अपने कब्जे बाबत् जो शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं उन शपथकर्ताओं ने अपीलान्ट/प्रार्थीगण के कब्जे बाबत् शपथ पत्र दिये हैं, किन्तु बाद खण्डन में पुनः विपक्षीगण के पक्ष में अपने शपथ पत्र दिये हैं। अर्थात प्रार्थीगण का वाद दायरी की दिनांक कब्जे के संबंध में जो उसके द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, उन शपथकर्ताओं द्वारा खण्डन में विपक्षी के पक्ष में सहमति दी है तथा विपक्षी के पक्ष में शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिये हैं, जिससे इस स्तर पर निर्णायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि वाद दायरी दिनांक को अपीलान्ट/प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजियात पर कब्जा हो।

उपरोक्त समग्र विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अपना प्रार्थना पत्र एवं अपील दीर्घकाल के प्रतिकूल कब्जे को आधार लेकर प्रस्तुत की गयी है, प्रतिकूल कब्जे बाबत् वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा नवीनतम न्यायिक नजीर माननीय राजस्व मण्डल का निर्णय आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 1102 प्रस्तुत किया गया, जिसमें माननीय राजस्व मण्डल ने यह निर्णित किया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा नहीं दी सकती।

वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा कब्जे के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं दिये जाने बाबत् न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 1135 उच्च न्यायालय व आर.आर.टी. 2015 (2) पेज 1154 सुप्रिम कोर्ट भी पेश किये,

जिनमें प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं दिये जाने का कथन किया है।

इसी प्रकार वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अनरजिस्टर्ड व अनस्टाम्प्ड दस्तावेज किसी भी परपच से नहीं दे जा सकते बाबत् न्यायिक नजीर आर.बी.जे. 2013 पेज 744 प्रस्तुत की है, जो भी इस प्रकरण से सुसंगत है। इसके अलावा खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं दिये जा सकने बाबत् न्यायिक नजीर आर.बी.जे. 2009 पेज 714 व आर.आर.टी. 2011 (1) पेज 403 प्रस्तुत की, जिसमें रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अतिक्रमी के हक में अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं दिये जाने का कथन किया गया है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपने अपील मीमों में उसके द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीरों को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं देखे जाने का आधार लिया है। अधिनस्थ न्यायालय को अप्रसांगिक न्यायिक नजीरों को उद्धृत किये जाने का कोई आधार नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक नजीरों को उद्धृत नहीं करने से प्रार्थीगण के भार सिद्ध प्रकरण में कोई मदद नहीं मिलती है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों व न्यायिक नजीरों के विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रथमता तो अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त भूमियों पर अपने पुराने कब्जे बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है तथा यह भी प्रमाणित नहीं है कि उसका वर्तमान में कब्जा है तथा वाद दायरी दिनांक को भी प्रार्थीगण का कब्जा साबित नहीं हुआ है। माननीय राजस्व मण्डल का नवीनतम निर्णय आर. आर.डी. दिनांक 14–06–2017 पेज 352 में माननीय राजस्व मण्डल ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दिये जा सकने का निर्णय पारित किया है।

इसी प्रकार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं दिये जाने के नवीनतम माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय आर.आर. टी. 2017 (2) पेज 1139 में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने को उचित मानते हुए प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं

होना अभिनिर्धारित किया है, जो इस प्रकरण से सुसंगत है। तद्नुसार हम अधिनस्थ न्यायालय मे निर्णय में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17–06–2011 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 31–10–2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

हालांकि जो आदेश 47 नियम 1 व 2 का आवेदन पेश किया गया है उस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01–03–2013 को अपना निर्णय पारित कर दिया है तथा प्रथम दृष्टया उक्त आदेश का रिवीजन ही किया जा सकता है, परन्तु उक्त आवेदन पर निर्णय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है।